संख्या-16/2016-616 ई-2/तेरह-2016-39/2012

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 22 मार्च,2016

विषय:- अल्कोहल वर्ष 2015-16 में अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-44/नौ-2015-2016/अ0नि0/777/देश के बाहर/धामपुर, दिनांक 03 मार्च,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03 मार्च,2016 में की गई संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2015-16 में मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, जनपद बिजनौर को 75,00,000(पचहत्तर लाख) बल्क लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरे की कमी होने पर आबकारी विभाग द्वारा देश के बाहर अल्कोहल निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही प्रदेश में शीरा की कमी होने पर आसवक द्वारा देश व प्रदेश के बाहर से शीरा आयात करके देश के बाहर अल्कोहल का निर्यात किया जायेगा। उक्त निर्यात की अनुमति इकाई की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत ही होगी।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in